न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
29/2/24	[illegible] अधिवक्ता अधिवक्ता ने कार्य त्याग किया हुआ है। फाईल वास्ते दि० 14/3/24 को जा रोबरू
14/3/24	अधिवक्ता पक्ष का उपयुक्त बाब सरकार पूर्व में बंद किया जा चुका है वास्ते बहस 09/5/24 को पेश हो।
09/5/24	वकुलाब [illegible] उप०शिला P.O. [illegible] रीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 04/7/24 को उनके समक्ष पेश हो।
04/7/24	प्रार्थीगण एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। सरकारी अधिवक्ता की उपस्थित आवाजें पुकारी गई कोई उपस्थित नहीं आया। सबब/बयानात की अनुपस्थिति पर की जाते। प्रार्थीगण की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर प्रा० पत्र प्रार्थीगण बाबत तामीले अदम पैरवी से खारिज किया जाता है। तदानुसार प्रा० पत्र निर्णीत हो। प्रा० बाद तकमील लगा बाबत [illegible]

उपखण्ड अधिकारी [illegible] (तिजारा) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Yadav
Date: 2024.08.02 10:56:20 IST
Reason: SelfAttested